संख्या: सी.एम.-71 आर/छः-पु-5-535/97

प्रेषक,

श्री बृजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश शासन।

गृह (पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 1997

विषयः अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र का अनुज्ञापत्र प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना।

महोदय,

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के स सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेटों तथा मण्डलायुक्तों द्वारा प्रति माह अलग से समीक्षा की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन प्रार्थनापत्रों पर पुलिस तथा राजस्व विभाग की संस्तुति प्राप्त हो जाये उनमें लाइसेंस प्राथमिकता पर निर्गत कियें जायें। मण्डलायुक्त अपने स्तर पर बैठक करके यह सुनिश्चित करें कि जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के स्तर पर कितने प्रार्थनापत्र पुलिस तथा राजस्व विभाग की संस्तुति के उपरान्त लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित हैं तथा कितने प्रार्थनापत्र राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा की जा रही जॉच के अन्तर्गत लम्बित है। इन सभी प्रार्थनापत्रों को सही ढ़ंग से एक माह के अन्दर निस्तारित किये जाये तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

2- कृपया उपरोक्त की प्राप्ति स्वीकार करें और निदेशों को प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(बृजेन्द्र सहाय)
मुख्य सचिव।

संख्या:सीएम-71(1)आर/छः-पु-5-97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(बृजेन्द्र सहाय)
मुख्य सचिव।